(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 17 /2023
नई दिल्ली, दिनांकः 3 जुलाई, 2023

विषयः आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) कोड 08028010 के तहत आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 08 के आईटीसी (एचएस) कोड 08028010 के तहत मदों की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन करती हैः

आईटीसी (एचएस) कोड और विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
08028010 –सुपारी––साबुत–	निषिद्ध	(क) तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 351/– रु. प्रति कि.ग्रा. अथवा अधिक हो तो आयात मुक्त है। (ख) तथापि, एमआईपी की शर्त 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाईयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगी, बशर्ते कि किसी भी डीटीए बिक्री की अनुमति न हो। (ग) भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना प्रति वर्ष 17,000 मीट्रिक टन ताजा (हरी) सुपारी के आयात की अनुमति दी जाएगी। ऐसे आयात की अनुमति केवलः (i) केवल एलसीएस जयगांव (आईएनजेआईजीबी) के माध्यम से और, (ii) डीजीएफटी द्वारा वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के अधीन होगी।	(क) तथापि, यदि सीआईएफ मूल्य 351/– रु. प्रति कि.ग्रा. अथवा अधिक है तो आयात मुक्त है। (ख) तथापि, एमआईपी की शर्त 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाईयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाईयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगी, बशर्ते कि किसी भी डीटीए बिक्री की अनुमति न हो। (ग) भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना प्रति वर्ष 17,000 मीट्रिक टन ताजा (हरी) सुपारी के आयात की अनुमति दी जाएगी। ऐसे आयात की अनुमति केवलः (i) केवल एलसीएस जयगांव (आईएनजेआईजीबी) और **एलसीएस चामुर्ची (आईएनसीएचएमबी)** के माध्यम से और (ii) डीजीएफटी द्वारा वैध **पत्तन–विशिष्ट** पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के अधीन होगी।

सं. सारंगी

2. सार्वजनिक सूचना सं. 61/2015–2020 दिनांक 20.03.2023 के साथ पठित डीजीएफटी अधिसूचना सं. 36/2015–2020 दिनांक 28.09.2022 में उल्लिखित शर्ते एलसीएस चामुर्ची के लिए भी लागू हैं।

अधिसुचना का प्रभावः भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना 17,000 मीट्रिक टन ताज़ा (हरी) सुपारी का आयात एलसीएस चामुर्ची (आईएनसीएचएमबी) के माध्यम से भी अनुमत होगा।

इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी
3.7.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/43/एएम–01/पीसी–2[क]/भाग–III/ई–8258 से जारी)